

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 124/2018

दायर दिनांक: 05/07/2018

### उनवान

1. मुकेश आयु 39 वर्ष पुत्र चतुर्भुज
2. देवेन्द्र नागर आयु 37 वर्ष पुत्र चतुर्भुज
3. कमलेश आयु 42 वर्ष पुत्री चतुर्भुज
4. गायत्री आयु 33 वर्ष पुत्री चतुर्भुज जातियान धाकड़ निवासीगण अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज०।

### वादीगण

#### बनाम

1. चतुर्भुज आयु 65 वर्ष पुत्र कान्हा जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तह० अटरू जिला बारां राज०।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

### प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

#### उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दा लाल नागर।

#### आदेश

दिनांक : 13/03/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 74 का कुल किता 22 का रकबा 23.62 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामिलती दर्ज खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी की पैत्रक सम्पत्ति है। जो वादीगण के दादाजी कान्हा के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता कान्हा से प्राप्त हुई थी, तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/30, 1/30 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद नं० 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/30 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना

कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 18.03.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/30, 1/30 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0सी0सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/30 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/30 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.03.2018 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावे।

- (अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 1/30, 1/30 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 74 की कुल कित्ता 22 की 23.62 है0 आराजी शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6 खाते दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 की पुस्तेनी आराजी है जिसमें वादी क्रम 1 लगायत 4 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/30, 1/30 बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1

के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामें अनुसार वादीक्रम 1 लगायत 4 का व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/30, 1/30 बनता है। वादी क्रम 3 कमलेश व वादी क्रम 4 गायत्री ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/30, 1/30 का हकत्याग वादी क्रम 1 मुकेश व वादी 2 देवेन्द्र नागर के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए हकत्याग कर दिया है। इसलिए हकत्याग करने से वादी क्रम 1 मुकेश व वादी क्रम 2 देवेन्द्र नागर का हिस्सा 2/30, 2/30 बनता है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वादी क्रम 1 मुकेश व वादी क्रम 2 देवेन्द्र नागर को हिस्सा 2/30, 2/30 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/30 का कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करने के कृपा करें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दालाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 74 कुल किता 22 रकबा 23.62 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र पुत्री है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

#### —:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 74 किता 22 रकबा 23.62 है0, में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामें अनुसार 1/30—1/30 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 कमलेश व प्रतिवादी क्रम 4 गायत्री ने अपना हिस्सा 1/30, 1/30 वादी क्रम 1 व 2 के हक में हक त्याग करने से वादी क्रम 1 व 2 को 2/30, 2/30 हिस्से व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/30 हिस्से का खातेदार कृषक हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू खाते में उक्त अनुसार पालना करवाकर रहन का नोट वादी क्रम 1 व 2 के हिस्से में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 124/2018

उनवान

1. मुकेश आयु 39 वर्ष पुत्र चतुर्भुज
2. देवेन्द्र नागर आयु 37 वर्ष पुत्र चतुर्भुज
3. कमलेश आयु 42 वर्ष पुत्री चतुर्भुज
4. गायत्री आयु 33 वर्ष पुत्री चतुर्भुज जातियान धाकड़ निवासीगण अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज आयु 65 वर्ष पुत्र कान्हा जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 74 किता 22 रकबा 23.62 है0, में वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को राजीनामें अनुसार 1/30-1/30 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी कम 3 कमलेश व प्रतिवादी कम 4 गायत्री ने अपना हिस्सा 1/30, 1/30 वादी कम 1 व 2 के हक में हक त्याग करने से वादी कम 1 व 2 को 2/30, 2/30 हिस्से व प्रतिवादी कम 1 को 1/30 हिस्से का खातेदार कृषक हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू खाते में उक्त अनुसार पालना करवाकर रहन का नोट वादी कम 1 व 2 के हिस्से में दर्ज किया जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.03.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)